

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/ आश्विन 17, 1940
No. 54]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

आ.ब. 58(अ).—यतः कर्नाटक राज्य में 9-बेल्लारी (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में निर्वाचित, श्री बी.श्रीरामुलु की सीट, उनके त्याग-पत्र देने के कारण दिनांक 18.05.2018 को रिक्त हो गई है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक उप निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) कर्नाटक राज्य में उक्त 9-बेल्लारी (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता** है कि दिनांक 8 नवंबर, 2018 (गुरुवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसरण में, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, किसी भी अनुसूचित जनजाति, चाहे उस राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का, से संबंधित किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख: 16 अक्टूबर, 2018 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा करने हेतु तारीख: 17 अक्टूबर, 2018 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर, 2018 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा: 3 नवम्बर, 2018 (शनिवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा: 8 नवम्बर, 2018 (गुरुवार)

- (ई) पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[सं. 100/कर्नाटक-लोकसभा/1/2018(1)]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

O.N. 58(E).—WHEREAS, the seat of Shri B. Sreeramulu in the House of the People, elected from 9-Bellary (ST) Parliamentary Constituency in the State of Karnataka has become vacant on 18.05.2018 by reason of his resignation ; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 9-Bellary (ST) Parliamentary Constituency in the State of Karnataka, to elect, before 8th November, 2018 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes, whether of that State or of any other State, for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) **appoints**, with respect to the said election,-

(a) the 16th October, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 17th October, 2018 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 20th October, 2018 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 3rd November, 2018 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 8th November, 2018 (Thursday), as the date before which the election shall be completed;
and

(C) **fixes the hours** from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/KT-HP/1/2018 (1)]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

आ.अ. 59 (अ).—यतः कर्नाटक राज्य में 14-शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में निर्वाचित, श्री बी.एस.येदियुरप्पा की सीट, उनके त्याग-पत्र देने के कारण दिनांक 18.05.2018 को रिक्त हो गई है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक उप निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) कर्नाटक राज्य में उक्त 14-शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि दिनांक 8 नवंबर, 2018 (गुरुवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसरण में, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख: 16 अक्टूबर, 2018 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा करने हेतु तारीख: 17 अक्टूबर, 2018 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर, 2018 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा: 3 नवम्बर, 2018 (शनिवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा: 8 नवम्बर, 2018 (गुरुवार)
- (ई) पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक का समय, ऐसे **समय के रूप में नियत करता है**, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[सं. 100/कर्नाटक-लोकसभा/2/2018(1)]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

O.N. 59(E).—WHEREAS, the seat of Shri B.S. Yeddyurappa in the House of the People, elected from 14-Shimoga Parliamentary Constituency in the State of Karnataka has become vacant on 18.05.2018 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 14-Shimoga Parliamentary Constituency in the State of Karnataka, to elect, before 8th November, 2018 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) **appoints**, with respect to the said election,-

(a) the 16th October, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 17th October, 2018 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 20th October, 2018 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 3rd November, 2018 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 8th November, 2018 (Thursday), as the date before which the election shall be completed;

and

(C) **fixes the hours** from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/KT-HP/2/2018 (1)]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

आ.ब. 60(अ).—यतः कर्नाटक राज्य में 20-मान्डया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में निर्वाचित, श्री सी.एस. पुट्टाराजू की सीट, उनके त्याग-पत्र देने के कारण दिनांक 21.05.2018 को रिक्त हो गई है; और

2. **यतः** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ एक उप निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. **अतः, अब**, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) कर्नाटक राज्य में उक्त 20-मान्ड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि दिनांक 8 नवंबर, 2018 (गुरुवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसरण में, लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्धारित करता है-

- (क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख: 16 अक्टूबर, 2018 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा करने हेतु तारीख: 17 अक्टूबर, 2018 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख: 20 अक्टूबर, 2018 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा: 3 नवम्बर, 2018 (शनिवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा: 8 नवम्बर, 2018 (गुरुवार)

(ई) पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक का समय, ऐसे **समय के रूप में नियत करता है**, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[सं. 100/कर्नाटक-लोकसभा/3/2018(1)]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

O.N. 60 (E).—WHEREAS, the seat of Shri C.S. Puttaraju in the House of the People, elected from 20-Mandya Parliamentary Constituency in the State of Karnataka has become vacant on 21.05.2018 by reason of his resignation; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 20-Mandya Parliamentary Constituency in the State of Karnataka, to elect, before 8th November, 2018 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) **appoints**, with respect to the said election,-

- (a) the 16th October, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 17th October, 2018 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) the 20th October, 2018 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 3rd November, 2018 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 8th November, 2018 (Thursday), as the date before which the election shall be completed;
- and

(C) **fixes the hours** from 7.00 A.M. to 6.00 P.M. , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/KT-HP/3/2018 (1)]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.